न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का टिटपुरी बनाम जमील S/o जोरू खां मेव

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या – 72/2018 निर्णय दिनांक – 13-4-2018

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम टिटपुरी की आ.ख.न. 206 कुल रकबा 0.66 किस्म जमीन गै.मु. रास्ता में से 0.01 रकबे पर श्री जमील पुत्र जोरू खां ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर चबूतरा घड़ा लक्की प्लक्क[illegible]ा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का टिटपुरी द्वारा दिनांक 14-2-18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय वार्ड भू.अ.निरी. टिटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी जमील पुत्र जोरू खां [illegible] मेव निवासी टिटपुरी को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी मय वकील उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 206 रकबा 0.66 में से 0.01 रकबे किस्म गै.मु. रास्ता है जो नियमन के अन्तर्गत नहीं है लिहाजा तौरमाल्म [illegible] अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.87/— 50 गुणा 55/— रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे. पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी टिटपुरी भू.अ.निरी. टिटपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर-(अलवर)

तहसीलदार
कठूमर अलवर (राज.)